न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

(प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 14/2024

जी.सी.एस.एस. नं. : 2024/36

सूर्यकान्त शर्मा पुत्र भंवरलाल शर्मा पता गली नं. 21, थानेदार जी का चौका, रामपुरा बस्ती, लालगढ़ बीकानेर

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी घड़साना

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 07.05.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील प्रत्यर्थी द्वारा निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के आधार पर प्रस्तुत की गयी हैं। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पत्र के संबंध में जवाब प्रतिवेदन तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी घड़साना के द्वारा अपने पत्रांक/मंडी/आरटीआई/2023–24/283 दिनांक 01.05.2024 के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई गयी कि "प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचना कार्यालय के रिकार्ड से संबंधित नहीं होने के कारण वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवायी जा सकती हैं।" उक्त सूचना बाबत अपीलार्थी को लिखित में सूचित कर दिया गया हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा निर्धारित समय पर सूचना नहीं देने आधार पर अपील प्रस्तुत की गयी हैं। जबकि प्रकरण में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के साथ पत्रांक/मंडी/आरटीआई/2023–24/217 दिनांक 19.03.2024 एवं पत्रांक 96 दिनांक 14.02.2024 की प्रति प्रस्तुत की गयी जिस लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विनिश्चय पारित करते हुए आवेदक/अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी खारिज योग्य हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती हैं। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 07.05.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.23 17:23:59 IST
Reason: SelfAttested

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर
अनूपगढ़
I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर
अनूपगढ़ (राज.)